



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/8/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 24/2025

दिनांक : 02.06.2025

सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन द्वारा फा.सं. II-31(85)CCU/JZ/2025 दिनांक 20.05.2025 के अंतर्गत जारी ज्ञापन की अनुपालना में निरीक्षक के पद पर अनंतिम आधार पर अधिकारियों की नव नियुक्ति के फलस्वरूप, **निरीक्षक** श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Vinod	12.08.2004	On joining	CGST, Udaipur

2. उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 02.06.2025 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं की वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें। चूँकि यह आवंटन नव नियुक्ति पर किया जा रहा है, अतः उपरोक्त अधिकारी को कोई स्थानान्तरण भत्ता एवं कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।

3. इसके अतिरिक्त सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण-2025 प्रक्रिया के अंतर्गत निरीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार पदस्थापना आदेश (लोकल रोटेशन) तत्काल प्रभाव से और अग्रिम आदेशों तक जारी किए जाते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Yomesh Lohiya	21.03.1998	CGST, Alwar (Bhiwadi)	Audit, Jaipur (Bhiwadi)

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ उदयपुर/ अंकेक्षण – जयपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. गार्ड फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड
5. वेबमास्टर – जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।